बाल विवाह को समाप्त करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन के लिये जारी किये गए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों से राजस्थान में नागरिक समाज समूहों को महत्त्वपूर्ण बढ़ावा मिला है।

मुख्य बिंदु

- **राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन:**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, राजस्थान में 20-24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु तक पहुँचने से पहले हो गई थी।
- **2030 तक बाल विवाह उन्मूलन के लिये सामूहिक प्रयास:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा-निर्देशों से उत्साहित होकर, एक गैर-सरकारी संगठन, जस्ट **राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) ने** ज़मीनी स्तर पर प्रयास तीव्र करने का संकल्प लिया है।
  - उनका लक्ष्य गाँवों में जागरूकता बढ़ाने सहित सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से **वर्ष 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करना है।**
- **सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:**
  - न्यायालय ने **राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह गाँव के नेताओं को सूचित और संवेदनशील बनाए तथा** इस बात पर ज़ोर दे कि यदि वे अपने समुदायों में बाल विवाह रोकने में विफल रहते हैं तो उनकी जवाबदेही होगी।
  - सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश बाल विवाह रोकने के लिये **ग्राम पंचायतों, स्कूल प्राधिकारियों** और **बाल संरक्षण अधिकारियों पर जवाबदेही डालते हैं।**
  - न्यायालय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 **को** प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये **"रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन"** मॉडल **अपनाने की सलाह दी।**
  - वर्ष 2024 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि **राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम सरपंच** बाल विवाह रोकने के लिये ज़िम्मेदार होंगे।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

- यह कानून कुछ कार्यों को दंडनीय बनाकर तथा बाल विवाह की रोकथाम और निषेध के लिये ज़िम्मेदार कुछ प्राधिकारियों की नियुक्ति करके बाल विवाह को रोकने का प्रयास करता है।
- **अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएँ:**
  - **"बालक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो, यदि **पुरुष है, तो इक्कीस वर्ष** की आयु पूरी नहीं की है, और यदि **महिला है, तो अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।**
  - **"बाल विवाह"** से तात्पर्य ऐसे विवाह से है जिसमें अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा हो।
  - **"नाबालिग" का** अर्थ है वह व्यक्ति जो वयस्कता अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के तहत **वयस्कता प्राप्त नहीं किया है। वयस्कता अधिनियम, 1875 के अनुसार, भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु पूरी करने** पर वयस्कता प्राप्त करता है।
  - बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसके लिये **कठोर कारावास की सज़ा दी जा सकती है,** जो 2 वर्ष तक हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय **और गैर-ज़मानती हैं।**
- **इस कानून के तहत जिन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं:**
  - जो कोई भी बाल विवाह संपन्न कराता है, उसका संचालन करता है, निर्देश देता है या उसे बढ़ावा देता है।
  - 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क पुरुष किसी बालिका से विवाह करता है (धारा 9)।
  - बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें माता-पिता या अभिभावक, किसी संगठन या एसोसिएशन का सदस्य शामिल है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है, अनुमति देता है या उसमें भाग लेता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-guidelines-to-eliminate-child-marriages